संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Website:mpurban.gov.in

भोपाल, दिनांक 27.11.2025

// आदेश //

क्रमांक/स्था.-01/या.प्र./(Estab)-UAD/2025/24957 कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला राजगढ (ब्यावरा) म.प्र. का पत्र क्रमांक/डूडा/2025/953 दिनांक 13-11-2025 द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है कि नगर परिषद, खिलचीपुर जिला राजगढ में प्राप्त शिकायतो की जॉच 03 सदस्यीय समिति गठित कर जॉच कराई गई। उक्त शिकायतो के संबंध में डिप्टी कलेक्टर/ परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला राजगढ (ब्यावरा) के पत्र क्रमांक 951/डूडा/2025 राजगढ दिनांक 12-11-2025 द्वारा कलेक्टर जिला राजगढ को जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें निकाय अंतर्गत कराए गए कंक्रीट/बिटुमिनस रोड की मोटाई तथा कंम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ निर्धारित मापदण्ड से कम पाए जाने का उल्लेख है। साथ ही आंगनवाडी भवन निर्माण कार्य भी गुणवत्ताविहीन पाया गया है।

उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री, नगर परिषद, खिलचीपुर जिला-राजगढ़ को कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला राजगढ (ब्यावरा) म.प्र. का पत्र क्रमांक/डूडा/2025/989 दिनांक 14-11-2025 से श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री, नगर परिषद, खिलचीपुर जिला-राजगढ़ को निलंबित करने की अनुशंसा का लेख किया गया है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री, (राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा) नगर परिषद, खिलचीपुर जिला-राजगढ़ का उक्त कृत्य शासकीय कार्यो में लापरवाही, कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता परिलक्षित होती है। श्री बघेला का उक्त मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 में वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध पाया गया है।

मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 के नियम 36 एवं मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्र. 128 एफ 4-129-2014-अठारह-1, भोपाल दिनांक 12 मार्च, 2015 की अनुसूची-1 के अनुक्रमांक-6 के अंतर्गत प्रदत्त नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अनुसार श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री, नगर परिषद, खिलचीपुर जिला-राजगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री, नगर परिषद, खिलचीपुर जिला-राजगढ़ का मुख्यालय संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल रहेगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी, जो नगर परिषद, खिलचीपुर जिला राजगढ से देय होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(संकेत भोंडवे)
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक स्था.-01//या.प्र./(Estab)-UAD/2025/ 24958 भोपाल, दिनांक 27 .11.2025

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, अपर प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सचिव, प्रमुख अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला राजगढ मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/डूडा/2025/989 दिनांक 14-11-2025 में सूचनार्थ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक/ कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. की ओर भेज कर लेख है कि परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, राजगढ मध्यप्रदेश से समन्वय कर श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री के विरूद्‌ध जारी किये जाने वाले आरोप पत्रादि के प्रारूप संभागीय कार्यालयके माध्यम से तैयार कर 03 दिवस में भेंजना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, खिलचीपुर जिला राजगढ ।
6. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, राजगढ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं साथ ही श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री के विरूद्‌ध जारी किये जाने वाले आरोप पत्रादि के प्रारूप तैयार कर संभागीय कार्याल, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल के माध्यम से 03 दिवस में भेंजना सुनिश्चित करें।
7. श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री, नगर परिषद, खिलचीपुर जिला-राजगढ़ मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ ।
8. वेब कंटेन्ट मैनेजर, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल म.प्र. की ओर वेबसाईट में प्रकाशित करने के लिये।

आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल